



## भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी

बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002

दूरभाष: 91-11-23221931-23221950; फ़ैक्स: 91-11-23235648, 23231095

ईमेल: [www.insahr@insa.nic.in](mailto:www.insahr@insa.nic.in) , वैबसाइट: [www.insaindia.res.in](http://www.insaindia.res.in)

दिनांक : 07 जून , 2018

### शुद्धिपत्र

रफ़्रेस विज्ञापन नंबर: दिनांक 07.06.2018

(हिंदुस्तान हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित)

निम्नलिखित संशोधित/ वाक्यांश पूर्ण रूप से पढ़े जाए।

पॉइंट नंबर ए से ई: यथावत

एफ) पीएसयू को विषय के काम के लिए शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।

जी) विषय के प्रकार के कार्यों के लिए इंजीनियरिंग स्टाफ की एक सूची भी संलग्न की जानी चाहिए।

एच) भाग लेने वाले पीएसयू के पास विषय कार्यों को निष्पादित करने के लिए दिल्ली (एनसीटी) सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी वैध विद्युत अनुबंध लाइसेंस होना चाहिए।

आई) संगठनों / पीएसयू को केन्द्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के रूप में घोषित पत्र को संलग्न करना होगा। इलेक्ट्रिकल और फायर फाइटिंग काम करने के लिए संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

जे) सामान्य वित्तीय नियम के नियम 133 (3) के तहत शामिल नहीं किए गए ऑर्गेनाइजेशन / पीएसयू योग्य नहीं हैं और इन पर विचार नहीं किया जाएगा।

के) समर्थन दस्तावेजों के साथ पिछले तीन वर्षों का वार्षिक कारोबार।

उप कार्यकारी निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)